

राजभाषा प्रकोष्ठ
HINDI CELL

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)



ई-मेल : hindicell2015@gmail.com
दूरभाष क्र. : (07582) 297118

क्रमांक: /रा.भा.प्र./33/2025/3078

02 जून, 2025

आवश्यक

सूचना

विषय : हिन्दी पत्राचार, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करने के संबंध में।

संदर्भ : क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), भोपाल, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 14/04/25/क्षे.का.का.भोपाल/रा.नि.म.क्षे./381 दिनांक 02 मई, 2025।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भानुसार क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), भोपाल, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का राजभाषा निरीक्षण दिनांक 08.04.2025 को किया गया। निरीक्षण उपरांत संबंधित कार्यालय ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निर्देशित किया है :-

“कि आपके कार्यालय का हिन्दी पत्राचार 66% से कम है जो कि लक्ष्य से कम है, कृपया राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं और साथ ही, ई-मेल से किया जाने वाला पत्राचार भी हिन्दी पत्राचार के आंकड़ों में शामिल किया जाए तथा हिन्दी में ई-मेल को बढ़ावा दिया जाए। डायरी और डिस्पैच रजिस्टर में पूरे पत्राचार का प्रोपर रिकार्ड मेंटेन किया जाए।”

कृपया उक्त निर्देशों का अवलोकन कर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि हिन्दी में पत्राचार के 100% के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

आदेशानुसार,

स. प्रमोद
कुलसचिव (प्र.) 02/6/2025

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सभी अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/अधिकारी/प्रभारी/निदेशक/समन्वयक/शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय आवक-जावक शाखा।
3. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ। – {विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने के अनुरोध साथ।}
4. कुलपति जी को निज सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
5. कुलसचिव जी को निज सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
6. कार्यालय नस्ती।

राजभाषा अधिकारी (प्र.)



भारत सरकार / Govt. of India

गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs,

राजभाषा विभाग / Department of Official Language

क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), भोपाल

Regional Implementation Office (Central), Bhopal

52-ए, निर्माण सदन, कमरा नं. 206, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462 011 (मध्य प्रदेश)

52-A, Nirman Sadan, Room No.206, Second Floor, Arera Hills, Bhopal - 462 011 (Madhya Pradesh)

दूरभाष / Telephone 0755 - 314 7763 ईमेल / Email - riocentralbhopal@gmail.com

14/04/25 / क्षे.का.का.भोपाल / रा.नि.म.क्षे. / 1381

दिनांक : 02 मई, 2025

सेवा में,

माननीय कुलपति महोदया,

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,

जिला : सागर - 470 003 (मध्यप्रदेश)

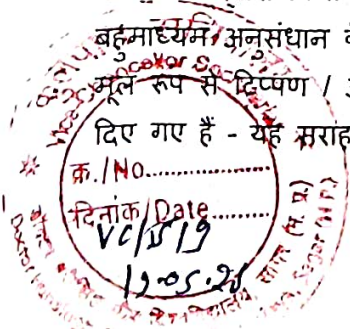
हि. अ. वि. भा. शि.
सि. गु. प. ता.
19/5/2025

विषय :- डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का दिनांक 08.04.2025 को किए गए निरीक्षण संबंधी रिपोर्ट।

आदरणीय महोदया,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08-04-2025 को आपके कार्यालय का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रो. नीलिमा गुप्ता, कुलपति तथा स्थापना एवं प्रशासन अनुभाग से श्री आशीष कुमार तिवारी, सहायक कुलसचिव, श्रीमती ए. लक्ष्मी, सहायक कुलसचिव परीक्षा, डॉ. उदय श्रीवास्तव, अनुभाग अधिकारी, वित्त एवं लेखा अनुभाग से श्री कुलदीपक शर्मा, वित्ताधिकारी, श्री दीपक कुमार शाक्य, सहायक कुलसचिव, डॉ. अशोक सैनी, अनुभाग अधिकारी, भारतीय भाषा प्रकोष्ठ से प्रो. देवाशीष बोस, समन्वयक, जवाहर लाल नेहरू पुस्तकालय से डॉ. मोहन टी.ए. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, डॉ. मुकेश साहू, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, डॉ. अनुराग श्रीवास्तव, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग से डॉ. रूपेन्द्र जुगल, श्री सचिन सिंह गौतम एवं राजभाषा प्रकोष्ठ के राजभाषा प्रभारी डॉ. संतोष सोहगौरा, संयुक्त कुलसचिव एवं श्री अभिषेक सक्सेना, हिंदी अनुवादक तथा अन्य कर्मिकों के साथ चर्चा की गई। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में राजभाषा संबंधी प्रावधानों / आदेशों के कार्यान्वयन एवं राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति निम्नानुसार पायी गई है :-

1. आपके कार्यालय का कोड OFMP-1879 है। तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑन-लाइन भेजी जा रही है। आपके कार्यालय में 27 अधिकारी तथा 245 कर्मचारी तैनात हैं, जिनमें 25 अधिकारी एवं 245 कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हैं और 02 अधिकारी हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं। आपका कार्यालय राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित कार्यालय है। कार्यालय में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए हैं। आपके कार्यालय द्वारा हिंदी पत्राचार लगभग 66 % तथा फाइलों में टिप्पणियां लगभग 79 % दर्शायी गयी हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया गया है। नराकास की बैठकों में भी सहभागिता की जाती है। हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया है। वर्ष के दौरान 04 कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं और रु. 3,69,379/- की हिंदी पुस्तकों की खरीद की गई है। विश्वविद्यालय द्वारा "भाषा भारती" गृह राजभाषा पत्रिका, "मध्य भारती" पूर्व समीक्षित शोध पत्रिका, "सागरिका" शोध पत्रिका (संस्कृत विभाग द्वारा) "नाट्यम" शोध पत्रिका (संस्कृत विभाग द्वारा) "ईसुरी" शोध पत्रिका (बुंदेली पीठ द्वारा) प्रकाशित की जा रही है। कार्यालय में कुल 105 रजिस्ट्रारों एवं 272 सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जा रही हैं। कार्यालय में कुल 370 कंप्यूटर हैं और सभी कंप्यूटरों में हिंदी में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है। भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा लिखित 12 पुस्तकों का मननीय प्रधानमंत्री द्वारा विमोचन किया गया। राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा प्रकोष्ठ एवं शैक्षणिक बहुमाध्यम अनुसंधान केन्द्र, सागर द्वारा "राजभाषा का सफरनामा" (ई-कंटेंट) का निर्माण किया गया। कार्यालय में हिंदी में मूल रूप से दिव्येण / आलेखन के लिए नकद पुरस्कार योजना लागू की गई है तथा इस योजना के तहत नकद पुरस्कार भी दिए गए हैं - यह सराहनीय है।



निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई अपेक्षित है :-

2. निरीक्षण के दौरान पाया कि कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों की पूर्व-सूचना एवं कार्यवृत्त इस कार्यालय को नहीं भेजे जा रहे हैं। कृपया राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों की पूर्व सूचना एवं कार्यवृत्त क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भोपाल को भिजवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि आपकी बैठकों में राजभाषा विभाग का प्रतिनिधित्व हो सके।
3. राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदु जारी किए जाएं तथा नियमित रूप से इनकी निगरानी भी की जाए।
4. आपके कार्यालय का हिंदी पत्राचार 66 % है जो कि लक्ष्य से कम है, कृपया राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं और साथ ही, ई-मेल से किया जाने वाला पत्राचार भी हिंदी पत्राचार के आंकड़ों में शामिल किया जाए तथा हिंदी में ईमेल को बढ़ावा दिया जाए। डायरी और डिस्पैच रजिस्टर में पूरे पत्राचार का प्रोपर रिकॉर्ड मॉटेन किया जाए।
5. कार्यालय में राजभाषा हिंदी संबंधी रोस्टर अपडेट किया जाए और राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मिकों को व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि विश्वविद्यालय में 45 % अनुभागों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए।
6. निरीक्षण के दौरान पाया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जा रहे हैं, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार विश्वविद्यालय में हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाने चाहिए।
7. निरीक्षण के दौरान पाया कि आपके कार्यालय में 02 प्रक्रिया साहित्य, 05 मानक फॉर्म, 42 नामपट्ट / साईन बोर्ड / सूचना पट्ट, 01 पत्र शीर्ष, 76 रजिस्ट्रों के शीर्षक, 54 रबड़ की मोहरें, 05 पदधारिता बोर्ड आदि केवल हिंदी में हैं, वहीं 08 नामपट्ट / साईन बोर्ड / सूचना पट्ट, 03 रजिस्ट्रों के शीर्षक, 10 रबड़ की मोहरें, 05 पदधारिता बोर्ड आदि केवल अंग्रेजी में हैं, कृपया इन सभी मदों को (हिंदी / अंग्रेजी) द्विभाषी रूप में वगदाया जाए। इसके अलावा सिस्टम आधारित कार्यों में हिंदी का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए।
8. विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dhsgsu.edu.in द्विभाषी रूप में है, कृपया समय-समय पर इसे द्विभाषी रूप में ही अद्यतित करते रहें और इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि जब कोई आपकी वेबसाइट www.dhsgsu.edu.in पर विजिट करता है, तो वेबसाइट वाई डिफॉल्ट (By Default) हिंदी में खुले तथा अंग्रेजी में खोलने का वैकल्पिक विकल्प दिया जाए।
9. निरीक्षण के दौरान पाया कि आपके कार्यालय में हिंदी अधिकारी का 01 पद 01.02.2023 से तथा हिंदी टंकक का 01 पद 27.01.2025 से रिक्त हैं, कृपया रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जाए। चूंकि संसदीय राजभाषा समिति, अपने निरीक्षण के दौरान हिंदी संबंधी रिक्त पदों के मामले को काफी गंभीरता से लेती हैं।
10. आपके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में तथा राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के प्रति आपके सकारात्मक दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की स्थिति अच्छी है और विशेष रूप से राजभाषा टीम तथा विभागाध्यक्षों के प्रयास भी सराहनीय हैं। अनुरोध है कि उपर्युक्त बिंदुओं पर अनुपालन कार्रवाई करवाते हुए कृत कार्रवाई की रिपोर्ट एक माह के अंतर्गत इस कार्यालय को भिजवाने की कृपा करें। निरीक्षण के दौरान आपके कार्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों के सहयोग के लिए धन्यवाद।

साइर

भवदीय,
21/5/2025

(नरेन्द्र सिंह मेहरा)

उप निदेशक (कार्यान्वयन) एवं कार्यालयाध्यक्ष
मोबाईल नं. 9911216373

प्रतिलिपि :-

1. उप सचिव (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110 001
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन/राजभाषा) शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।